जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक प–2(ई.सी.185)/जविप्रा/जे.सी. (एस.एम.)/2014/डी– 602 दिनांक: 26/5/14

जयपुर विकास प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की 185वीं बैठक दिनांक 21.05.2014 का कार्यवाही विवरण

क्र.सं.	एजेण्डा संख्या	विषय	बैठक में लिये गये निर्णय/सुझाव	सम्बन्धित अधिकारी
1.	185.1	कार्यकारी समिति की 184वीं बैठक दिनांक 12.02.2014 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि।	कार्यकारी समिति की 184वीं बैठक दिनांक 12.02.2014 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि की गयी।	
2.	185.2	कार्यकारी समिति की 184वीं बैठक दिनांक 12.02.2014 में लिए गए निर्णयों की क्रियान्विति रिपोर्ट।	कार्यकारी समिति की 184वीं बैठक दिनांक 12.02.2014 में लिए गए निर्णयों की पालना रिपोर्ट की समीक्षा पर संतोष व्यक्त किया गया।	
3.	185.3	कनिष्ठ सहायक से सहायक के पद पर पदोन्नति के प्रावधान में संशोधन बाबत।	विचार विर्मश पश्चात कनिष्ठ सहायक से सहायक के पद पर पदोन्नति के प्रावधान में संशोधन के सम्बन्ध में प्रस्तुत एजेण्डा नोट को स्थगित करते हुए यह निर्णय लिया गया कि निदेशक (वित्त) एवं अतिरिक्त आयुक्त (प्रशासन) की एक समिति गठित की जावे। उक्त समिति द्वारा राज्य सरकार के सेवा नियमों एवं प्राधिकरण के सेवा विनियमों के समस्त संवर्गों की विसगंतियों में एकरूपता लाने के लिए परीक्षण कर पूर्ण तथ्यों सहित प्रकरण को निर्णय हेतु आगामी बैठक मे प्रस्तुत किया जावे।	अतिरिक्त आयुक्त (प्रशासन)
4.	185.4	प्राधिकरण सेवा के अधिकारी/कर्मचारी जो पुरानी वेतन श्रृंखला में वेतन प्राप्त कर रहे है, को बढ़ा हुआ मंहगाई भत्ता के भुगतान बाबत।	विचार विर्मश पश्चात प्राधिकरण सेवा के अधिकारी/कर्मचारी जो पुरानी वेतन श्रृंखला में वेतन प्राप्त कर रहे है, को बढ़ा हुआ मंहगाई भत्ता 166 प्रतिशत के स्थान पर 188 प्रतिशत के नकद भुगतान किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई।	अतिरिक्त आयुक्त (प्रशासन)
5.	185.5	श्री रमेश चन्द केसवानी, सेवानिवृत्त अधिशाषी अधिकारी (तदर्थ) की अस्थाई आधार पर की गई पदोन्नति की 11.08.2011 से 31.03.2012 तक अवधि बढ़ाये जाने बाबत।	विचार विर्मश पश्चात श्री रमेश चन्द केसवानी, प्रशासनिक अधिकारी द्वारा सेवानिवृति दिनांक 31.03.2012 तक अधिशाषी अधिकारी (तदर्थ) के पद पर कार्य किये जाने के फलस्वरूप आज्ञा क्रमांक प.7(5)जविप्रा/संस्था/86 दिनांक 11.02.2011 के द्वारा अधिशाषी अधिकारी के पद पर विनियम-25 के अन्तर्गत की गई तदर्थ पदोन्नति की अवधि को दिनांक 31.03.2012 तक बढाये जाने का निर्णय लिया गया।	अतिरिक्त आयुक्त (प्रशासन)

सचिव,
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्र.सं.	एजेण्डा संख्या	विषय	बैठक में लिये गये निर्णय/सुझाव	सम्बन्धित अधिकारी
6.	185.6	प्राधिकरण के कार्मिकों को स्टेशनरी भत्ता स्वीकृत किये जाने बाबत।	विचार विमर्श पश्चात् प्राधिकरण के कार्मिकों को स्टेशनरी भत्ता राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश क्रमांक F.7(6)FD/Rules/2010 Dated 03.10.2013 एवं क्रमांक प.4(32) वित्त1 (1)/आ.व्य./2012 दिनांक 27 जनवरी, 2014 के अनुसार भुगतान किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई।	अतिरिक्त आयुक्त (प्रशासन)
7.	185.7	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर के सेवानिवृत अधिकारियों/कर्मचारियों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने की कार्योत्तर स्वीकृति जारी करने के सम्बंध में।	विचार-विमर्श पश्चात जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर के सेवानिवृत्त अधिकारियों/कर्मचारियों तथा मृतक की विधवा/नियमानुसार आश्रितों को चिकित्सा पुनर्भरण हेतु राज्य सरकार के सेवानिवृत्त अधिकारियों/कर्मचारियों की भांति चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने सम्बन्धी प्राधिकरण द्वारा जारी कार्यालय आदेश क्रमांक प.14(33)जविप्रा/ संस्था/96 दिनांक 14.10.2010 की कार्योत्तर स्वीकृति एवं वित्त विभाग, राजस्थान सरकार के आदेश दिनांक 08.08.2013 के क्रम में प्राधिकरण के आदेश दिनांक 14.10.2010 के द्वितीय अनुच्छेद में अंकित राशि रूपए 5000/- एवं 10000/- को बढ़ाकर रूपए 10000/- एवं 20000/-प्रतिवर्ष किए जाने की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।	निदेशक (वित्त)
8.	185.8	आवासीय भूखण्ड संख्या 574 योजना निलय कुंज के नियमितिकरण के सम्बन्ध में।	आवासीय भूखण्ड संख्या 574, योजना निलय कुंज की नजराना राशि निर्धारित समयावधि से 7 माह के विलम्ब से करवाई गई है, जिसमें ब्याज व पेनल्टी की राशि दो वर्ष से अधिक विलम्ब से जमा करायी गयी। मानवीय दृष्टीकोण को ध्यान में रखते हुए, भूखण्ड का नियमानुसार ब्याज एवं पेनल्टी लेकर नियमितीकरण किये जाने की स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रकरण को स्वीकृति हेतु राज्य सरकार को भिजवाने का निर्णय लिया गया।	उपायुक्त जोन-9
9.	185.9	कल्पना नगर आवासीय योजना में भूखण्ड संख्या जी-375, एच-465, फ-195 एवं एफ-132 के नियमितिकरण के सम्बन्ध में।	कल्पना नगर आवासीय योजना में भूखण्ड संख्या जी-375, एच-465, फ-195 एवं एफ-132 की नजराना राशि जमा नहीं करवाई गई है। आवंटी नजराना राशि एवं ब्याज व पैनल्टी की राशि जमा करवाने के लिए तैयार है। विचार-विमर्श पश्चात भूखण्ड का नियमानुसार ब्याज एवं पेनल्टी लेकर नियमितीकरण किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई। नियमन करते समय डिस्पोजल ऑफ अरबन लैण्ड रूल्स 1974 के रूल 17(5)(ii) के प्रावधानों का ध्यान रखा जावे।	उपायुक्त जोन-13ए
10.	185.10	कल्पना नगर आवासीय योजना में भूखण्ड संख्या आई-101, बी-281, बी-382, डी-86, बी-11, ए-14, बी-144, जे-90, एफ-17, आई-214,सी-414, ई-248, ई-17, ई-399,	कल्पना नगर आवासीय योजना में भूखण्ड संख्या आई-101, बी-281, बी-382, डी-86, बी-11, ए-14, बी-144, जे-90, एफ-17, आई-214,सी-414, ई-248, ई-17, ई-399, ई-189, बी-3, आई-159, डी-266, एच-496, जी-409, ई-483, बी-355, एफ-111, डी-449, बी-244, ई-292,	उपायुक्त जोन-13ए

सचिव,
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्र.सं.	एजेण्डा संख्या	विषय	बैठक में लिये गये निर्णय/सुझाव	सम्बन्धित अधिकारी
		ई-189, बी-3, आई-159, डी-266, एच-496, जी-409, ई-483, बी-355, एफ-111, डी-449, बी-244, ई-292, एफ-442, एफ-261, बी-165, एफ-6, डी-343, बी-368, के नियममितिकरण के संबंध में।	एफ-442, एफ-261, बी-165, एफ-6, डी-343, बी-368 के आवंटियों द्वारा भूखण्ड की नजराना राशि विलम्ब से जमा करवाए जाने के कारण निरस्त हुए आवंटन को विलम्ब अवधि के लिए देय ब्याज एवं शास्ति जमा करवाने की शर्त पर भूखण्ड का आवंटन बहाल करने का निर्णय लिया गया। नियमन करते समय डिस्पोजल ऑफ अरबन लैण्ड रूल्स 1974 के रूल 17(5)(ii) के प्रावधानों का ध्यान रखा जावे।	
11.	185.11	कल्पना नगर आवासीय योजना में भूखण्ड संख्या डी-77, सी-630, डी-167, ई-541 एवं ई-301 के नियमितिकरण के सम्बंध में।	कल्पना नगर आवासीय योजना में भूखण्ड संख्या डी-77, सी-630, डी-167, ई-541 एवं ई-301 की नजराना राशि आवंटियों द्वारा एक वर्ष से अधिक के विलम्ब से जमा करवाई गई है। विलम्ब अवधि के लिए देय ब्याज एवं शास्ति जमा करवाने की शर्त पर भूखण्ड का आवंटन बहाल करने का निर्णय लिया गया। नियमन करते समय डिस्पोजल ऑफ अरबन लैण्ड रूल्स 1974 के रूल 17(5)(ii) के प्रावधानों का ध्यान रखा जावे।	उपायुक्त जोन-13ए
12.	185.12	प्राधिकरण के अधिकारियों/ कर्मचारियों एवं प्राधिकरण सेवा से सेवानिवृत अधिकारियों/ कर्मचारियों को मंहगाई भत्ते के भुगतान के सम्बन्ध में जारी आदेश दिनांक 05.03.2014 की कार्योत्तर पुष्टि बाबत।	प्राधिकरण के अधिकारियों/कर्मचारियों एवं प्राधिकरण सेवा से सेवानिवृत्त अधिकारियों/ कर्मचारियों को बढ़े हुए महंगाई भत्ता का दिनांक 01.01.2014 से नकद भुगतान किए जाने एवं प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत अधिकारियों/ कर्मचारियों को राज्य सरकार के आदेशानुसार भुगतान किए जाने बाबत जारी आदेश क्रमांक प.4(9)जविप्रा/ संस्था/83 दिनांक 05.03.2014 की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।	अतिरिक्त आयुक्त (प्रशासन)
13.	185.13	Ex post facto approval of the bid document for Appointment of Statutory Auditor/CA Firms for "Six Laning Ring Road of Jaipur from Ajmer Road to Agra Road at Jaipur in the State of Rajasthan on DBFOT (Toll) Basis Project.	विचार-विमर्श पश्चात 6 लेन की रिंग रोड (अजमेर रोड से आगरा रोड) जयपुर राजस्थान में डीबीएफओटी (टोल) बस्सी प्रोजेक्ट हेतु स्टेटरी ऑडिटर/ सीए फर्म के नियुक्ति आदेश की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।	निदेशक अभियांत्रिकी (प्रथम)
14.	185.14	Ex post facto approval of the time extension and payment of price variation for the work of Construction of BRTS Corridor and Development of road (package II B) Sanganer Airport to 22 Godam via Rambagh crossing including Elevated Road at Durgapura (10.50KM.) (Revised Route, Amrit Nagar to Kishan Dharm Kanta)	विचार-विमर्श पश्चात एजेण्डा में अंकित प्रस्तावों की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।	निदेशक अभियांत्रिकी (प्रथम)

सचिव,
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्र.सं.	एजेण्डा संख्या	विषय	बैठक में लिये गये निर्णय/सुझाव	सम्बन्धित अधिकारी
15.	185.15	Ex post facto approval of exempt the condition of defect liability period and to modify one condition for road works to be carried out under the A&F sanction of " Various development works in PAP area of ring Road JDA, Jaipur" and for the work of the " Construction of road (upto GSB level) in the PAP area of ring road in zone 9, 10, 11, 14, JDA, Jaipur (package 1 to 11)	विचार-विमर्श पश्चात एजेण्डा में अंकित प्रस्तावों की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।	निदेशक अभियांत्रिकी (प्रथम)
16.	185.16	Post facto approval for changes in Bid Document for the work " Improvement of road & junctions with interlocking tiles in Maintenance Zone-North, South, East & West, JDA, jaipur (Rate Contract)"	विचार-विमर्श पश्चात मेन्टीनेस जोन-उत्तर, दक्षिण, पूर्व एवं पश्चिम क्षेत्र मे इन्टरलोकिंग टाईल्स कार्य द्वारा सडक एवं जंक्शन सुधारीकरण कार्य (दर संविदा) के बिड डॉक्यूमेन्ट में किए गए संशोधनों की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।	निदेशक अभियांत्रिकी (द्वितीय)
17.	185.17	जविप्रा की सम्पत्तियो की निलामी e-auction के माध्यम से किये जाने के निर्णय के क्रम में e-auction Business Rules Document का अनुमोदन बाबत।	विचार-विमर्श पश्चात जयपुर विकास प्राधिकरण की सम्पत्तियों की नीलामी e-auction के माध्यम से किये जाने हेतु निदेशक वित्त की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा e-auction Business Rules Document का अनुमोदन किया गया।	निदेशक (वित्त)
18.	185.18	Agenda for post Facto approval of Bid for Construction of Tourist Facility Center on Land Post Partum Chaura Rasta, Jaipur (Rajasthan)	विचार-विमर्श पश्चात मैसर्स राज कन्सट्रक्शन कम्पनी की दर 34 प्रतिशत अधिक, बी.एस.आर. आईटम पर, नोन बी.एस.आर. आइटम कुल लागत राशि रूपए 5205762.80 कुल कार्य लागत राशि रूपए 5,64,25,775.00 बिड की कार्योत्तर स्वीकृति बिना किसी शर्त के प्रदान की गई।	निदेशक अभियांत्रिकी (प्रथम)
19.	185.19	रोहिणी नगर फेज प्रथम योजना के नीलामी मे क्रय आवासीय भूखण्ड संख्या 603 (कॉर्नर) की नियमितीकरण के सम्बन्ध में।	रोहिणी नगर फेज प्रथम योजना के नीलामी में क्रय आवासीय भूखण्ड संख्या 603 (कॉर्नर) की नजराना राशि क्रेता द्वारा निर्दिष्ट अवधि में जमा न करवाकर 111 दिवस विलम्ब से जमा करवाए जाने के कारण प्राधिकरण के पत्र दिनांक 07.04.2014 के द्वारा नीलामी निरस्त कर दी गई। निरस्तीकरण के पश्चात क्रेता द्वारा बकाया ब्याज व शास्ति दिनांक 11.04.14 को जमा करवाने पर भूखण्ड को बहाल किए जाने की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।	अतिरिक्त निदेशक (राजस्व एवं सम्पति निस्तारण)

सचिव,
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्र.सं.	एजेण्डा संख्या	विषय	बैठक में लिये गये निर्णय/सुझाव	सम्बन्धित अधिकारी
20.	185.20	सालिगरामपुरा योजना के नीलामी में क्रय आवासीय भूखण्ड संख्या ए-251 के नियमितीकरण के सम्बन्ध में।	सालिगरामपुरा योजना के नीलामी में क्रय आवासीय भूखण्ड संख्या ए-251 की नजराना राशि क्रेता द्वारा जमा नहीं करवाने पर आदेश दिनांक 05.05.10 के द्वारा अमानता राशि जब्त करते हुए नीलामी निरस्त कर दी गई थी। अब क्रेता नजराना राशि मय ब्याज जमा करवाने को तैयार है। विचार-विर्मश पश्चात भूखण्ड का नियमानुसार ब्याज एवं पेनल्टी लेकर नियमितीकरण किये जाने की स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रकरण को स्वीकृति हेतु राज्य सरकार को भिजवाने का निर्णय लिया गया।	अतिरिक्त निदेशक (राजस्व एवं सम्पति निस्तारण)
21.	185.21	सालिगरामपुरा येाजना के नीलामी मे क्रय आवासीय भूखण्ड संख्या बी-19 के नियमितीकरण के सम्बंध में।	सालिगरामपुरा योजना के नीलामी मे क्रय आवासीय भूखण्ड संख्या बी-19 की नजराना राशि क्रेता द्वारा जमा नहीं करवाने पर आदेश दिनांक 05.05.10 के द्वारा अमानता राशि जब्त करते हुए नीलामी निरस्त कर दी गई थी। अब क्रेता नजराना राशि मय ब्याज जमा करवाने को तैयार है। विचार-विर्मश पश्चात भूखण्ड का नियमानुसार ब्याज एवं पेनल्टी लेकर नियमितीकरण किये जाने की स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रकरण को स्वीकृति हेतु राज्य सरकार को भिजवाने का निर्णय लिया गया।	अतिरिक्त निदेशक (राजस्व एवं सम्पति निस्तारण)
22.	185.22	जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर के अधिकारीगणों के निवास पर राजकीय टेलीफोन, मोबाईल, इन्टरनेट, ब्रॉडबैण्ड पर देय पुनर्भरण सुविधा राशि में परिवर्तन/वृद्धि किये जाने बाबत।	विचार-विमर्श पश्चात जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर के अधिकारीगणों के निवास पर राजकीय टेलीफोन, मोबाइल फोन, इन्टरनेट, ब्रॉडबैण्ड पर देय पुनर्भरण सुविधा राशि के सम्बन्ध में सामान्य प्रशासन (ग्रुप-3) विभाग, राजस्थान सरकार की आज्ञा क्रमांक प.5(31)साप्र/3/82 जयपुर दिनांक 02.07.2013 के अनुसार प्राप्त प्रस्ताव को निम्न संशोधन के साथ स्वीकृति प्रदान की गई :- 1. एजेण्डा के क्रम संख्या 1 में अंकित उप महानिरीक्षक को क्रम संख्या 2 में अंकित अधिकृत अधिकारियों के साथ जोड़ने का निर्णय लिया गया। इसी अनुरूप एजेण्डा के क्रम संख्या 3 में अंकित संयुक्त आयुक्त का पद क्रम संख्या 2 में अंकित अधिकारियों के समकक्ष होने के कारण संयुक्त आयुक्त को क्रम संख्या 2 में अंकित अधिकृत अधिकारियों के साथ जोड़ने का निर्णय लिया गया। उपरोक्त संशोधनों के साथ एजेण्डा में अंकित प्रस्तावित राशि को स्वीकृत करते हुए यह भी निर्णय लिया गया कि उक्त पुनर्भरण राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.5 (31)साप्र/3/82 दिनांक 02.07.2013 में उल्लेखित शर्तो के अनुसार किया जावेगा।	उपायुक्त (स्टोर)
23.	185.23	Agenda Regarding Approval of Tender for the work : Construction of internal Roads in village Mudiyaramsar Zone-12 JDA, Jaipur (approval for the single Bid of M/s K.D. Sharma)	विचार विर्मश पश्चात मैसर्स के. डी. शर्मा के पक्ष में बिड के "जी" शिड्यूल बी.एस. आर. 2012 पर 14 प्रतिशत अधिक पर कुल राशि रूपये 80,88,875.99 के लिए बिना किसी शर्त पर बिड अनुमोदन की स्वीकृति प्रदान की गई।	निदेशक अभियांत्रिकी (द्वितीय)

सचिव,
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्र.सं.	एजेण्डा संख्या	विषय	बैठक में लिये गये निर्णय/सुझाव	सम्बन्धित अधिकारी
24.	185.24	Renewal of damaged roads to provide good riding surface as basic road facility to road users in Zone-5	प्रकरण में राजस्थान लोक उपापन मे पारदर्शिता नियम 2013 में निविदा स्वीकृति हेतु निर्धारित कमेटी की दर स्वीकृति अवधि समाप्त हो गई है। विचार विमर्श पश्चात टेण्डर वैद्यता अवधि बढाये जाने एवं न्यूनतम निविदादाता मैसर्स के.डी. शर्मा की दर 6.03 प्रतिशत (Above on Schedule-G) की दर पर कार्य लागत राशि रूपये 4,06,23,237.00 की स्वीकृति दिए जाने का निर्णय लिया गया।	निदेशक अभियांत्रिकी (द्वितीय)
25.	185.25	Approval of Tender for the work " Electrification work of rehabilitation scheme of JDA at SEZ (Phase-I) (EEG&H Block) ie. Kalwada Area, JDA, Jaipur	निविदा में वैद्यता अवधि 60 दिवस से अधिक हो जाने के कारण समाप्त हो गई है। विचार विमर्श पश्चात राजस्थान लोक उपापन मे पारदर्शिता नियम 2013 के क्रम में टेण्डर वैद्यता अवधि बढाये जाने एवं न्यूनतम निविदादाता मैसर्स एम.एम. ब्रदर्स को 16.21 प्रतिशत कम दर पर राशि रूपये 3,29,76,134.00 का कार्यादेश दिये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई।	निदेशक अभियांत्रिकी (प्रथम)
26.	185.26	Demarcation work of sector road in sector 29, Zone-9 area, JDA, Jaipur	विचार-विमर्श पश्चात सैक्टर 29, जोन-9 में सैक्टर सड़कों के डिमार्केशन कार्य की निविदा निर्धारित समयावधि (60 दिवस) समाप्त हो जाने के कारण उक्त निविदा को मैसर्स सुरेश चन्द खटीक के पक्ष में राशि रूपए 2,60,195.03 जारी किए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई।	निदेशक अभियांत्रिकी (प्रथम)

(पवन अरोड़ा)
सचिव,
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

जयपुर विकास प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की 185वीं बैठक दिनांक 21.05.2014 को दोपहर 12.00 बजे जयपुर विकास प्राधिकरण के सभा कक्ष 'मंथन' में श्री शिखर अग्रवाल, जयपुर विकास आयुक्त की अध्यक्षता में आयोजित की गई। उपस्थिति निम्न प्रकार रही :-

क. सं.	नाम सदस्य/ अधिकारी	पद	विभाग	पदनाम
1.	श्री शिखर अग्रवाल	आयुक्त	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	अध्यक्ष
2.	श्री पवन अरोड़ा	सचिव	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	सदस्य
3.	श्री एन.सी. माथुर	निदेशक (अभियांत्रिकी-प्रथम)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	सदस्य
4.	श्री देवराज सिंह	निदेशक (वित्त)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	सदस्य
5.	श्रीमति लवंग शर्मा	निदेशक (आयोजना)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	सदस्य
6.	श्री युखवीर सैनी	अति. ज़िला कलक्टर-चतुर्थ, जयपुर	कलक्ट्रेट, जयपुर	सदस्य के प्रतिनिधि
7.	श्री संजय सिंह	अधिशाषी अभियन्ता	सार्वजनिक निर्माण विभाग. जयपुर	सदस्य के प्रतिनिधि
8.	श्री संजीव सचदेवा	अधिशाषी अभियन्ता	जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जयपुर	सदस्य के प्रतिनिधि
अन्य अधिकारी उपस्थित				
9.	श्रीमति नलिनी कठोतिया	अति. आयुक्त (भूमि)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
10.	श्री राजेनद्र विजय	अति. आयुक्त (प्रशासन)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
11.	श्री एस. मित्रा	संयुक्त आयुक्त (सिस्टम्स मैनेजमेन्ट)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
12.	श्री ललित शर्मा	निदेशक अभियांत्रिकी-द्वितीय	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
13.	श्री मनोज कुमार सोनी	अधीक्षण अभियन्ता	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
14.	श्री एम.एल. चौधरी	अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता (विद्युत)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
15.	श्री तरूण शर्मा	अधीक्षण अभियन्ता प्रोजेक्ट-चतुर्थ	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
16.	श्री भागीरथ हावा	उपायुक्त (ज़ोन-9)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
17.	श्री अवधेश माथुर	अधिशाषी अभियन्ता - H-II	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
18.	श्री धमेन्द्र शर्मा	अधिशाषी अभियन्ता (N)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
19.	श्री महावीर सिंह	अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी	ज़िला परिषद, जयपुर	
20.	डॉ. ओ. पी. थाकन	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर-I	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, जयपुर	
21.	डॉ. प्रवीण असवाल	उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,जयपुर-II	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, जयपुर	
22.	श्रीमती ऊषा जैन	सहायक निदेशक (जन-संपर्क)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	

(पवन अरोड़ा)
सचिव,
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

सचिव,
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

कमांक प-2(ई.सी.185)/जविप्रा/जे.सी. (एस.एम.)/2014/डी- 602 दिनांकः 26/5/14

प्रतिलिपी निम्न को अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न हैः-

क.स.	पद	विभाग का नाम
1	विशिष्ट सहायक माननीय मंत्री महोदय	नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राजस्थान सरकार।
2	अध्यक्ष	राजस्थान आवासन मण्डल।
3	प्रमुख शासन सचिव	नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4	महापौर	जयपुर नगर निगम।
5	जिला प्रमुख	ज़िला परिषद, जयपुर।
6	आयुक्त	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
7	अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक	रीको, जयपुर।
8	प्रबन्ध निदेशक	राजस्थान एर्यटन विकास निगम, जयपुर।
9	प्रबन्ध निदेशक	राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जयपुर।
10	जिला कलक्टर	जिला कलैक्ट्रेट, जयपुर।
11	मुख्य कार्यकारी अधिकारी	नगर निगम, जयपुर।
12	पुलिस अधीक्षक	पुलिस विभाग, जयपुर।
13	सचिव	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
14	मुख्य नगर नियोजक	नगर नियोजन, राजस्थान, जयपुर।
15	मुख्य अभियन्ता	सार्वजनिक निमार्ण विभाग,जयपुर।
16	मुख्य अभियन्ता	जन स्वास्थ अभियांत्रिकी विभाग, जयपुर।
17	मुख्य अभियंता	जयपुर विद्युत वितरण निगम लि.जयपुर।
18	निदेशक (विधि)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
19	निदेशक (अभियांत्रिकी-प्रथम/द्वितीय)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
20	निदेशक (आयोजना)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
21	निदेशक (वित्त)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
22	अतिरिक्त आयुक्त (प्रशासन/पूर्व/पश्चिम/पुनर्वास/एल.पी.सी/भूमि)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
23	संयुक्त आयुक्त (सिस्टम मैनेजमेन्ट)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
24	उपायुक्त जोन.....	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
25	सहायक निदेशक (जन-सम्पर्क)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

(पवन अरोड़ा)
सचिव
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर